

पत्रांक-श्रम क०सं०-28/2025 (अंश)-881

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गोपालगंज के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रू0 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से कुल राशि रू0 50,000/- (पचास हजार रुपए), अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-255 दिनांक-25.02.2026 के क्रम संख्या-13 में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु क्रम संख्या-13 पर अंकित लाभार्थी का IFSC WRONG रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-255 दिनांक-25.02.2026 के क्रम संख्या-13 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, गोपालगंज के त्रुटि निराकरण परिमार्जन पत्रांक-763, दिनांक-23.06.2026 तथा लेखापाल के प्रतिवेदन के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आचार सं०	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मो०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० देवनाथ सहनी, 49, स्व० चन्द्रिका सहनी, पिछड़ा वर्ग	विलावती देवी, (पत्नी)	1288 31.12.2025 / 763 23.06.2026	ग्राम+पो०-मैसही, थाना+प्र०-मांझा, पो०-लोरिका, जिला-गोपालगंज, 9350765261	5201012499 52929	UBI UBIN091 9888	रू0 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पशुपालन का कार्य

कुल राशि:-रू0 50,000/-
(पचास हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-255, दिनांक-25.02.2026 के क्रम संख्या-13 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-28/2025 (अंश)-881

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

पटना, दिनांक :- 12/07/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रू0 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, गोपालगंज/उप श्रमायुक्त, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

10/07/2026

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक